

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/ 1491

दिनांक: 30/1/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका डिग्गी की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	टोंक	डिग्गी	ग्राम पंचायत किरावल का राजस्व ग्राम कुस्थल का समस्त सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत धौली का राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा भीपूर, नुक्कड (कल्याणपुरा), मालियों की ढाणी, मीणो की ढाणी का समस्त सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत सोडा का राजस्व ग्राम बागरिया की ढाणी का समस्त सीमा क्षेत्र । (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार - 5071)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
आयुक्त एवं शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Kumar Pal
Gautam
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.29 15:34:14 IST
Reason: Approved

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/1492-1520 दिनांक: 30/1/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/ उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर पालिका डिग्गी में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त अजमेर ।
10. जिला कलेक्टर टॉक को भेजकर निवेदन है कि नगर पालिका डिग्गी की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे एवं सम्मिलित क्षेत्र का नगरपालिका को चार्ज दिलवाये जाने का श्रम करें।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वितीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका डिग्गी ।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, एवं वार्ड पंच संबंधित ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम..... जिला टॉक द्वारा अधिसासी अधिकारी नगरपालिका डिग्गी।
18. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Kumar Pal
Gautam
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.29/5:34:14 IST
Reason: Approved